तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज विमलेश बनाम राजस्थान सरकार
22/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 28/4/26 को पेश हो।
28/4/26	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4/5/26 को पेश हो।
4/5/26	पत्रावली पेश हुई अभि० प्रार्थी उपस्थित प्रा० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 28 / 2024

1. विजय पाल सिंह पुत्र देवी सिंह जाति जाट निवासी ग्राम बरकौली तहसील उच्चैन।

............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. श्रीमान भू—प्रबन्ध अधिकारी जिला भरतपुर राज0।

..............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय **दिनांकः—04.05.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 617 रकवा 0. 11है0 बाके ग्राम बरकोली तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजी का पुराना खसरा नम्बर 549 रकवा 0.14विस्वा था। उक्त आराजी के पुराना खसरा नम्बर 549 में दर्ज राजस्व रिकार्ड खसरा जिन्सवार बन्दोवस्त सम्वत् 1985 के नक्शा गट्ठा में उक्त आराजी सीमायें निम्न प्रकार से है तरफ पूर्व व पश्चिम 17—17 गट्ठा यानि कि 33—33मीटर एवं तरफ उत्तर 14 गट्ठे एवं 28 मीटर एवं तरफ दक्षिण 19 गट्ठे एवं 38 मीटर थी। लेकिन हाल हुये बन्दोबस्त में उक्त आराजी की सीमाएं तरफ पूर्व व पश्चिम 27—27 मीटर व तरफ उत्तर 27 मीटर एवं तरफ दक्षिण 27 मीटर राजस्व रिकार्ड के नक्शा गट्ठा सीट में सीमाएं कम करने की गलती व भूल की है जिससे उक्त आराजी के नक्शा सीट पर पैमाना से नाप करने रकवा क्षेत्रफल 14 विस्वा के स्थान पर करीब 10 विस्वा होता है जबकि हाल आराजी के खसरा नम्बर 617 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल में उक्त आराजी का क्षेत्रफल 0.11है0 लगभग सही अंकन व दर्ज किया गया है तथा प्रार्थी खातेदार को नक्शा सीट पर उक्त आराजी खसरा नम्बर 617 के कशीद नक्शे पैमाने से नाप करने पर रकवा करीब 04 बिस्वा व 0.3.75 ऐयर की हानि व क्षति हो रही है इसलिये आराजी खसरा नम्बर 617 का राजस्व नक्शा गट्ठा सीट पर कम दर्ज किये गये क्षेत्रफल का पैमाने की नाप के मुताबिक सही एवं दुरूस्ती कराना आवश्यक हो गया है। राजस्व रिकार्ड के नक्शा गट्ठा सीट में पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ही गलती व सहवन की दुरूस्ती व संशोधन किये जाने की आज्ञा पारित की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया—

1. ग्राम बरकोली में जमाबंदी संवत् 2075—78 के ख.नं. 617 रकवा 0.11है0 विजयपाल पुत्र देवीसिंह हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

2. उक्त खसरा नम्बर की पैमाइश कार्य दिनांक 20.06.2024 को गठित राजस्व टीम द्वारा किया गया था। मौके पर मुताबिक राजस्व नक्शे एवं मौके पर मिलान नहीं होने से पैमाइश कार्य नहीं हो सका।

3. वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 617 रकवा 0.11है का रकवा मुताबिक जमाबंदी 0.11है0 है जबकि राजस्व नक्शे एवं मौके पर रकवा 0.03है0 कम बैठता है। पडोसी खसरा नम्बरान के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो आसपास के कुछ खसरा नम्बराना का स्वंय का ही रकवा पूरा होता है एवं कुछ खसरा नम्बरान का स्वंय का रकवा भी कम बैठता है।

4. ऐसी स्थिति में पटवार स्तर ने नक्शे में शुद्धि न होकर बन्दोबस्त विभाग से री–सैटलमेंन्ट कर नक्शा शुद्ध किया जाना उचित होगा।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 617 का पुरान खसरा नम्बर 549 था एवं दौराने सैटलमेन्ट राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 617 का गलत नक्शा कशीद कर दिया है जिसके कारण अप्रार्थी का रकवा मुताबिक राजस्व नक्शा लगभग 10 विस्वा बैठता है जबकि पूर्व रिकार्ड के मुताबिक पार्थी का रकवा 14 विस्वा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व नक्शे में शुद्धि की आज्ञा पारित किये जाने का निवेदन किया है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, शपथ पत्र एवं पत्रावली के साथ पेश राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नक्शा ट्रेस सम्वत् 1985 एवं सन् 2005, खसरा जिन्सवार सम्वत् 1985 ग्राम बरकौली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का कही भी अंकन नहीं किया है कि प्रार्थी का बढने वाला अथवा कम होने वाला रकवा किन–किन संभाबित खसरों में निकलता है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रभावित होने वाले खसरों के संभाबित खातेदारान को भी पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा विवादित आराज़ीयात के नक्शे में शुद्धि से संबंधित अभिशंषा नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी तकनीकी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 04.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)